

## वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली.110 001 Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi- 110 001



सा॰/No.: 5-1(302)/2015-PD

Dated

21.10.2022

प्रेषक : संयुक्त सचिव (प्रशासन)
From : Joint Secretary (Admn.)

सेवा में : सी.एस.आई.आर. की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/म्ख्यालय/एककों के निदेशक/प्रधान

To : The Directors/Heads of all CSIR National Labs./Instts./Hqrs./Units

विषय : सरकारी दौरे पर तेजस एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा यात्रा की स्वीकार्यता - के संबंध में। Sub : Admissibility to travel by Tejas Express Trains on Official Tour - reg.

महोदया/Madam / महोदय/Sir,

मुझे, उपरोक्त विषय पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 12.09.2022 के कार्यालय ज्ञापन सं 190301/1/2017-ई.IV को आपकी जानकारी, मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

I am directed to forward herewith the Government of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure, Office Memorandum No. 19030/1/2017-E.IV dated 12.09.2022 on the above mentioned subject for your information, guidance and compliance.

भवदीय/Yours faithfully,

Mulu 21 2022

(एम. अरुण मणिकण्ड भारति / M Arun Manikanda Bharathi) अवर सचिव (नीति प्रभाग)/ Under Secretary (PD)

संलग्न/Encl. : यथोपरि/As above

प्रतिलिपि/Copy to:

1) सी.एस.आई.आर. वेबसाइट/ CSIR Website

2) कार्यालय प्रति/Office copy.

Phones : EPABX-23710138, 23710144, 23710158, 23710468, 23710805, 23711251, 23714238, 23714249, 23714769, 23715303 Fax : 91-11-23714788 Website : http://www.csir.res.in

## फा.सं.190301/1/2017-ई.IV

भारत सरकार वित्त मंत्रालय व्यय विभाग

\*\*\*

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक: 12 सितंबर, 2022

## कार्यालय ज्ञापन

विषयः सरकारी दौरे पर तेजस एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा यात्रा की स्वीकार्यता।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 13.07.2017 के का.ज्ञा. संख्या 19030/1/2017-ई.IV का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है जिसमें दौरे/प्रशिक्षण/स्थानांतरण/सेवानिवृत्ति पर यात्रा के लिए यात्रा हकदारियों का निर्धारण किया गया है।

- 2. सरकारी दौरे पर तेजस एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा यात्रा की स्वीकार्यता के मामले के बारे में इस विभाग में विचार किया गया। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दौरे/प्रशिक्षण/स्थानांतरण/सेवानिवृत्ति पर इस विभाग के दिनांक 13.07.2017 के समसंख्यक का.जा. के पैरा 2 क (ii) में उल्लिखित रेलगाड़ियों के अलावा तेजस एक्सप्रेस रेलगाड़ियों से यात्रा करने की अनुमित दिए जाने का निर्णय लिया गया है। तेजस एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में यात्रा की हकदारी इस विभाग के दिनांक 13.07.2017 के समसंख्यक का.जा. के पैरा 2क(ii) में यथा उल्लिखित शताब्दी रेलगाड़ियों के समान होगी।
- 3. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत कर्मचारियों का संबंध है, ये आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(5) के तहत यथा अधिदेशित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।
- 4. इसे वित्त सचिव एवं सचिव (व्यय) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(निर्मला देव)

निदेशक

भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग मानक वितरण सूची के अनुसार।

प्रतिलिपि:- भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि को मानक पृष्ठाकंन सूची के अनुसार। No. 19030/1/2017-E.IV
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

\*\*\*

North Block, New Delhi. Dated the 12<sup>th</sup> September, 2022

## OFFICE MEMORANDUM

Subject: Admissibility to travel by Tejas Express Trains on Official Tour.

The undersigned is directed to refer to this Department's OM No. 19030/1/2017-E.IV dated 13.07.2017 wherein travel entitlements for journey on Tour/ Training/Transfer/Retirement have been prescribed.

- 2. The matter regarding admissibility of travel by Tejas Express Trains on official Tour has been considered in this Department. It has been decided to allow Central Govt. employees to travel by Tejas Express Trains for journey on Tour/Training/Transfer/Retirement, in addition to the Trains as mentioned in para 2 A (ii) of this Department's OM of even number dated 13.07.2017. Travel entitlement in Tejas Express Trains would be same as that of Shatabdi Trains as mentioned in para 2 A (ii) of this Department's OM of even number dated 13.07.2017.
- 3. In so far as the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued in consultation with the Comptroller and Auditor General of India, as mandated under Article 148(5) of the Constitution of India.
- 4. This is issued with the approval of Finance Secretary & Secretary (Expenditure).

(Nirmala Dev)
Director

To,

All Ministries and Departments of the Govt. of India etc. as per standard distribution list.

Copy to : C&AG and U.P.S.C. etc. as per standard endorsement list.